Title: Regarding permanent appointment of the sweepers and labourers in the factories where they are regularly working.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने लेबर कांट्रैक्ट एक्ट से संबंधित मुद्दों पर विचार-विनिमय करने के लिए प्रसिद्ध उद्योगपतियों की एक समिति का गठन किया था, उसमें श्री रतन टाटा, नस्ली वाडिया, जी.के.मित्तल और बिरला इन उद्योगपतियों का समावेश था। उस उच्च स्तरीय समिति ने जो सफाई मजदूर हैं, लोडर्स हैं, इनको सही करने के बारे में चर्चा की।

इन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि इन लोगों को स्थाई नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि जहां रैगुलर काम है, उसमें रैगुलर काम करने वाले सफाई मज़दूरों को परमानेन्ट करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐसा है तो इस समिति ने जो रिपोर्ट दी है, उसको न मानते हुए सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए और सफाई मज़दूरों और लेबरर्स को स्थाई करने के बारे में विचार करना चाहिए।